न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 10/2021

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरोही ।

बनाम

अप्रार्थी

श्री शैतानसिंह पुत्र श्री दानसिंह जाति राजपूत निवासी राडबर तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री , सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. श्री नरपतसिंह देवड़ा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 04.04.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07.05.2021 को थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम की सूचना पर प्रवर्तन अधिकारी सिरोही द्वारा ग्राम पोसालिया में आजाद चौक के पास जैन मन्दिर के पास गली में स्थित एक खण्डहर घर में कुल 72 गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण पाया जाने उक्त सभी 72 गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 07.05.2021 को थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही द्वारा प्रवर्तन अधिकारी सिरोही को सूचना दी गई कि ग्राम पोसालिया में एक घर में गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जा रहा है। मौके पर पहुंचने पर श्री सुजानाराम थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम पुलिस जाब्ते के साथ उपस्थित मिले। मौके पर पहुंचने पर ग्राम पोसालिया में आजाद चौक के पास जैन मन्दिर के पास गली में स्थित एक खण्डहर घर में गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण पाया गया। मौके पर अप्रार्थी श्री शैतानसिंह उपस्थित मिले, जिन्होने उक्त खण्डहर घर में गैस सिलेण्डरों का भण्डारण करना स्वीकार [illegible] पूछताछ करने पर उक्त खण्डहर घर श्री चुन्नीलाल जैन का होना बताया [illegible] खण्डहर भवन में रूबरू मौतबिरानों श्री रघुवीरसिंह [illegible] निवासी राडबर तहसील शिवगंज एवं श्री छगनलाल [illegible] निवासी पोसालिया तहसील शिवगंज हाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पोसालिया [illegible] समक्ष निरीक्षण एवं जांच करने पर कुल 72 गैस सिलेण्डर पाए गए, जिसमें से 39 सिलेण्डर विभिन्न गैस कम्पनियों के घरेलू गैस सिलेण्डर, 03 अप्रमाणित घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 30 सिलेण्डर विभिन्न

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:19:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गैस कम्पनियों के व्यावसायिक गैस सिलेण्डर पाए गए। अप्रार्थी श्री शैतानसिह से उक्त गैस सिलेण्डरों के भण्डारण सम्बन्धी विधिक दस्तावेज, लाईसेंस, परमिट इत्यादि के बारे में पूछने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। मौके पर तलाशी लेने पर परिसर में तीन पीतल की गैस भरने की बांसुरी एवं 14 लोहे की बासुरिया बरामद की गई एवं एक गैस भरने की इलेक्ट्रिक मशीन पाई गई, जिससे प्रतीत होता है कि श्री शैतानसिंह द्वारा गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग का कार्य किया जाता है। साथ ही मौके पर 29 गैस डायरियां बरामद की गई, परन्तु उनसे सम्बन्धित कोई भी उपभोक्ता मौके पर उपस्थित नहीं था। अतः अप्रार्थी द्वारा बडी मात्रा में घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत बताते हुए खारिज करने का निवेदन करते हुए गैस सिलेण्डर वापस दिलवाए जाने का निवेदन किया। कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डरों में 29 उपभोक्ताओं की गैस डायरियां भी जब्त की गई, जिनमें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः 29 उपभोक्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावें।

मैने प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 07.05.2021 को थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही द्वारा प्रवर्तन अधिकारी सिरोही को सूचना दी गई कि ग्राम पोसालिया में एक घर में गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जा रहा है। मौके पर पहुंचने पर श्री सुजानाराम थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम पुलिस जाब्ते के साथ उपस्थित मिले। मौके पर पहुंचने पर ग्राम पोसालिया में आजाद चौक के पास जैन मन्दिर के पास गली में स्थित एक खण्डहर भवन में गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण पाया गया। मौके पर अप्रार्थी श्री शैतानसिंह उपस्थित मिले, जिन्होने उक्त खण्डहर घर में गैस सिलेण्डरों का भण्डारण करना स्वीकार किया। पूछताछ करने पर उक्त खण्डहर घर श्री चुन्नीलाल जैन का होना बताया गया। उक्त खण्डहर भवन में रूबरू मौतबिरानों श्री रघुवीरसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी राडबर तहसील शिवगंज एवं श्री छगनलाल पुत्र श्री कपूराराम निवासी पोसालिया तहसील शिवगंज हाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पोसालिया के समक्ष निरीक्षण एवं जांच करने पर कुल 72 गैस सिलेण्डर पाए गए, जिसमें से 39 सिलेण्डर विभिन्न गैस कम्पनियों के घरेलू गैस सिलेण्डर, 03 अप्रमाणित घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 30 सिलेण्डर विभिन्न गैस कम्पनियों के व्यावसायिक गैस सिलेण्डर पाए गए। अप्रार्थी श्री शैतानसिह से उक्त गैस सिलेण्डरों के भण्डारण सम्बन्धी विधिक दस्तावेज, लाईसेंस, परमिट इत्यादि के बारे में पूछने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। मौके पर तलाशी लेने पर परिसर में तीन पीतल की गैस भरने की बांसुरी एवं 14 लोहे की बासुरिया बरामद की गई एवं एक गैस भरने की इलेक्ट्रिक मशीन पाई गई, जिससे प्रतीत होता है कि श्री शैतानसिंह द्वारा गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग का कार्य किया जाता है। साथ ही मौके पर 29 गैस डायरियां बरामद की गई, परन्तु उनसे सम्बन्धित कोई भी उपभोक्ता मौके पर उपस्थित नहीं था। जहां तक अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा उक्त सभी सिलेण्डरों के साथ 29 उपभोक्ताओं की गैस डायरियों को भी कब्जे सरकार लिया गया। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:19:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

है कि मौके पर अप्रार्थी श्री शैतानसिंह के पास से 29 गैस उपभोक्ताओं की गैस डायरियां कब्जे सरकार ली गई है एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त 72 सिलेण्डरों का एक खण्डहर भवन में अवैध भण्डारण किया हुआ है एवं मौके पर परिसर में तीन पीतल की गैस भरने की बांसुरी एवं 14 लोहे की बासुरिया बरामद की गई एवं एक गैस भरने की इलेक्ट्रिक मशीन पाई गई, जिससे प्रतीत होता है अप्रार्थी कि श्री शैतानसिंह द्वारा गैस सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग का कार्य किया जाता है। यह है कि अप्रार्थी द्वारा बडी मात्रा गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण बिना किसी विधिक दस्तावेज, लाईसेंस, परमिट इत्यादि के द्वारा किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी उक्त 29 उपभोक्ताओं से गैस डायरियां लेकर अवैध भण्डारण गैस रिफिलिंग का कार्य करता है। जहां तक उक्त 29 उपभोक्ताओं को पक्षकार बनाने का सवाल है तो अप्रार्थी श्री शैतानसिंह के पास कोई लाईसेंसी फर्म नहीं थी, जो सिलेण्डरों को भरने का कार्य करता हो, तो उक्त 29 उपभोक्ताओं के द्वारा अप्रार्थी श्री शैतानसिंह को अपनी-अपनी गैस डायरियों दिया जाना अवैध कार्य को बढावा देना है एवं न ही इस सम्बन्ध में किसी भी उपभोक्ता ने अपनी गैस डायरी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत पेश की है। अतः अप्रार्थी द्वारा कुल 72 गैस सिलेण्डर पाए गए, जिसमें से 39 सिलेण्डर विभिन्न गैस कम्पनियों के घरेलू गैस सिलेण्डर, 03 अप्रमाणित घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 30 सिलेण्डर विभिन्न गैस कम्पनियों के व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है ।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये कुल 72 गैस सिलेण्डरों एवं मौके पर परिसर में मिले तीन पीतल की गैस भरने की बांसुरी एवं 14 लोहे की बासुरिया एवं एक गैस भरने की इलेक्ट्रिक मशीन को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है एवं जब्तशुदा कुल 29 गैस डायरियों को वापस लौटाए जाने के आदेश दिए जाते है। जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिये गये उक्त गैस सिलेण्डरों में भरी हुई गैस को उपभोक्ताओं को वितरण करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावे एवं उक्त गैस सिलेण्ड़रों को सम्बन्धित गैस कम्पनी को नियमानुसार सुपुर्द कर प्राप्त राशि उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

Bhlw

(डॉ. भँवर लाल)

जिला कलक्टर, सिरोही

जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:19:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner